

रानिंद्र ने कहा- अंजलि को कभी झूटा नहीं कहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रानिंद्र सिंह ने गुरुवार को इन रिपोर्टों को खारिज किया कि कि उन्होंने राइफल कोच स्टैनिसलाव लैपिडस के खिलाफ शिकायत करने वाली निशानेबाज अंजलि भागवत को झूटा कहा था। लैपिडस पर जुनियर निशानेबाजों के यौन शोषण का आरोप है। रानिंद्र ने आठवीं एशियाई एअर गुन चैंपियन और 13वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम की घोषणा करने के बाद कहा कि कुछ निशानेबाजों से मिली संयुक्त शिकायत की 60 पंक्तियों में से केवल तीन पंक्तियों में कथित यौन शोषण की बात की गई है। शुरुआती पूछताछ के बाद मैंने यही कहा था कि आरोप निराधार है। मैंने कभी उन्हें झूटा नहीं कहा था।

एनआरएआइ ने इस महीने के शुरू में शीर्ष विदेशी कोच से जुड़े मामले को एथलीट आयोग को भेजने का फैसला किया था जिसके अध्यक्ष पूर्व भारतीय निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता मन्वद अली खान हैं। यह 63 वर्षीय राइफल कोच 2009 में अपनी निगुक्ति के बाद से भारतीय निशानेबाजों के साथ है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने मई में न्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप के दौरान देश के जुनियर निशानेबाजों का यौन शोषण किया था। एनआरएआइ ने लैपिडस के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करके कहा कि उसका कजाखस्तान के कोच पर पहले की तरह विरवास बना हुआ है।

रानिंद्र ने कहा कि मैं अंजलि को लेकर छपी रिपोर्टों की निंदा करता हूं। मेरा उन पर पूरा विश्वास है और मैं उनका सम्मान करता हूं। हम अपने खिलाड़ियों विशेषकर इस मामले से जुड़ी दोनों महिलाओं (अंजलि और सुमा शिरूर, जिन्होंने शिकायत संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर किए है) का बहुत सम्मान करते हैं।

दूसरी तरफ, मुगद ने कहा कि इस मामले पर किसी समाधान पर पहुंचने में समय लगेगा और अब जबकि रियो ओलंपिक में एक साल से भी कम समय बचा है तो सलाह दी गई है इस मामले से बहुत जिम्मेदारी से निवटना है। छह साल पहले भारतीय टीम से जुड़ने से पूर्व लैपिडस बेजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और सौनियर निशानेबाज अंजलि को प्रशिक्षण दे चुके थे।

बिंद्रा को वित्तीय मदद देगा मंत्रालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को रियो ओलंपिक 2016 की तैारी को देखते हुए निजी फिनजियोथेरपिस्ट और अनुकूलन विशेषज्ञ की सेवाएं लेने के लिए 112.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष से इस रकम को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि मंत्रालय की ओर से अभिनव बिंद्रा को भेजे गए पत्र के अनुसार फिनजियोथेरपिस्ट और अनुकूलन विशेषज्ञ की सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है जिन्हें एक जुलाई 2015 से 31 अगस्त 2016 तक 60000 रूपए महीने की दर से भुगतान किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि बिंद्रा के अभ्यास और स्पर्धओं के दौरान उन्हें रहने-ठहरने, डीए और हवाई यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा। इन पर 112.50 लाख रुपए का बजट बिंद्रा को आवंटित किया जाएगा। मंत्रालय ने बिंद्रा के अलावा निशानेबाज मोहम्मद असाब को भी 18 अगस्त से एक सितंबर तक इटली में होने वाले 14 दिन के अभ्यास सत्र के लिए एनएसडीएफ से कुल रकम का नब्बे फीसद अग्रिम देने पर मंजूरी जताई है। इनके अलावा मंत्रालय ने लुज खिलाड़ी शिवा केशवन को भी दस लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

गोवा के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के रह होने का खतरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर गोवा से नाराज है और उसने चेतावनी दी है कि अगर कामकाज इसी तरह ढीला रहा तो आयोजन रह भी किया जा सकता है। गोवा को 2016 के पंजीकृत खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। लेकिन खेलों की तैयारी की रफ्तार काफी धीमी है। आइओए इससे नाराज है। इस सिलसिले में आइओए ने गोवा ओलंपिक संघ लिखे पत्र में कहा कि उससे इन खेलों मेजबानी वापस लेकर किसी अन्य राज्य को दी जा सकती है।

आइओए महासचिव राजीव मेवठा ने गुरुवार को कहा कि गोवा में इन खेलों की तैयारियों से हम संतुष्ट नहीं हैं हम इस बारे में पहले भी कह चुके हैं हम नहीं चाहते कि इन खेलों का समय आ जाए और गोवा इन खेलों की मेजबानी नहीं कर पाए। इसलिथे हमने सोचा है कि समय रहते एक चेतावनी पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि मैंने खुद गोवा जाकर देखा है अगर खेलों का आयोजन समय पर किया जाना है तो अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आइओए की कार्यकारिणी ने भी कहा था कि हो सकता है गोवा इन खेलों की तैयारियों में पिछड़ जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल अगले साल नवंबर में हो सकते हैं लेकिन पता चला है कि गोवा सरकार ने अभी तक अगले साल नवंबर में आयोजन के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी है। पता चला है कि खेल गंव बानाने का काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया है।

कांटिनेंटल केमिकल्स लिमिटेड <p>पंजीकृत कार्यालय : ए-7, सेक्टर-7, नेएच-201301 <p>CIN : L24123UP1984PL014111 <p>दूरभाष सं:0120-24232316, फैक्स सं: 0120-2423316 <p>ई-मेल: info@continentalsoft.com वेबसाइट: www.continentalchemicalsLtd.com</p> 30वीं वार्षिक आमसभा, ई-वोटिंग सूचना तथा बॉड की सूचना <p>एनटरप्राइस सीट जांती के कि कंपनी के सदस्यों के बीच 30वीं वार्षिक आमसभा मंगलवार, 22 सितंबर 2015 को सुना 4.00 बजे तक के पंजीकृत कार्यालय : ए-7, सेक्टर- VII, नेओडा, गैरम बुद्ध मंसू, पिन- 201301 (यू.पी.) में आयोजित होगी, जिसमें वार्षिक आमसभा की सूचना में निर्दिष्ट विषयों के अनुसार कार्य हो।</p> कंपनी ने वित्तीय वर्ष को 31 मार्च, 2015 को समाप्त किया है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वार्षिक आमसभा की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वही तथा उस पर अंकेषकों व निदेशकों की रिपोर्ट के प्रेषण का कार्य अगुस्त माध्यम के जरिए 20 अगस्त, 2015 को समाप्त किया है। वे सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.continentalchemicalsLtd.com पर भी उपलब्ध है तथा निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यलय समय के दौरान उपलब्ध रहे।</p> कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सूचीबद्ध अनुबंध की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आमसभा के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण प्रिस्का सौमवार, 21.9.2015 से मतंगवार, 22.9.2015 (दोनों दिना सम्मति) तक बंद रहे।।</p> कंपनी ने सूचीबद्ध अनुबंध की धारा 35वीं, कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) विनियमन, 2014 के नियम 20 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार अपने शेयरधारकों को वार्षिक आमसभा की सूचना में सूचीबद्ध कार्यसूची मद् के संबंध में सीडीएएल द्वारा मुहैया कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। सूचना प्रेषण का कार्य 20 अगस्त 2015 को समाप्त हुआ है। ई-वोटिंग की अवधि अर्थात् 21 सितंबर 2015 (पूर्वा, 9.00 बजे) से आरंभ होकर सोमवार 21 सितंबर 2015 (अप. 5.00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद होने वाले मतदान को वाबत ई-वोटिंग प्रक्रिया सीडीएएल द्वारा नामंजूर कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि 15 सितंबर 2015 को फिनिक्ल फार्म में अथवा डिमिटिरियलाइड फार्म में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान कर सकते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर अधिग्रहित किया है तथा वार्षिक आमसभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण किया है, वे वार्षिक आमसभा की सूचना में उल्लिखित निर्देश तथा मिमेट ई-वोटिंग की प्रक्रिया द्वारा मतदान कर सकते हैं। एक बाद जब सदस्य प्रस्ताव पर मतदान कर रहे, उसके बाद सदस्य को उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।</p> सदस्यों से आग्रह है कि वे वार्षिक आमसभा की सूचना (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के ई-वोटिंग फॉर्मिंग पाठ हेतु निर्देशों का पालन करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग हेतु प्रक्रिया व तरीका के संबंध में, कोई जानकारी अथवा ई-वोटिंग के संबंध में कोई जानकारी के माहले में सदस्य मतदान करने के लिए शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग पुश्त मैनुअल तथा https://www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन में "फ़िबैबैली आइक व्हेराचंस (एफएक्यूएस)" की मदद ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल के जरिए लिख सकते हैं। नोट. गोपाल मौजूदा कंपनी सचिव, नई दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संचालन हेतु मतदान परिवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वार्षिक आमसभा की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर मतदान का परिणाम वार्षिक आमसभा के निष्कर्ष के 3 दिनों के भीतर घोषित होगा। मतदान परिवेक्षक को रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.continentalchemicalsLtd.com पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चरमरेतन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की ओर से परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद सीडीएएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा परिणाम को ट्राक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किया जाएगा। परिणाम को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-7, सेक्टर-7, नेओडा-201301 में प्रदर्शित किया जाएगा। सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने ई-मेल आईडी को अपने सीपीआर एंड टीए के साथ वेश रखें ताकि कंपनी की ओर से सम्भ-सम्भ पर वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाओं, परिषर्षर् इत्यादि सहित इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रेषित सभी पत्राचारों को प्राप्त किया जा सके। सदस्यों को अपने आइए/ शिक्कार्य, यदि कोई हो, के पंजीकरण की सुविधा हेतु आर एंड टीए ने ई-मेल आईडी-beetalrta@gmail.com (BEETAL Financial & Computer Services Pvt. Ltd. नोडल हाइड, तीसरा तल, 99, मदनगौर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली- 110062) सूचन किया है। <p style="text-align: center;">वाल्टे कांटिनेंटल केमिकल्स लिट</p> <p>स्थान : नेओडा हस्ता- प्रतिभा अग्रवाल</p> दिनांक : 21.08.2015 कंपनी सचिव
--

हाकी इंडिया लीग खिलाड़ियों की नीलामी अगले महीने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त। हाकी इंडिया लीग के चौथे सत्र की नीलामी अगले महीने की सत्रह तारीख को राजधानी में होगी। हाकी लीग के चौथे सत्र के लिए कुल 278 खिलाड़ियों, जिनमें 135 भारतीय व 142 विदेशी खिलाड़ी हैं पर बोली लगेगी। हाकी इंडिया लीग में छह टीमें हिस्सा लेंगी। टीमें भारत के अलावा आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, हालैंड, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मलेेशिया, जापान और कोरिया के खिलाड़ियों पर बोलियां लगाएंगे। हाकी इंडिया ने शुक्रवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

हाकी इंडिया लीग ने इससे पहले सभी टीमों को तीन भारतीय और तीन ही विदेशी खिलाड़ी को बनाए रखने का विकल्प दिया था जबकि बाकी सभी को मुक्त कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक एक टीम में 20 खिलाड़ी हो सकते हैं जिनमें 12 भारतीय और आठ विदेशी होंगे। पिछली चैंपियन रॉची रेज ने अपने छह खिलाड़ियों को बरकरार रखने का फैसला किया है। इनमें कप्तान एशले जैकसन, बैरी मिडिलटन, फर्ग्यु के, मनप्रीत सिंह, बीरेंद्र लाकड़ा और कोंथाजीत सिंह हैं। जेपी पंजाब वारियर्स ने गोलकीपर जाप स्टाकमैन को मुक्त कर दिया। अब उसके पास

चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर बीसीसीआइ को नोटिस

चेन्नई, 21 अगस्त (भाषा)। मद्रास हाई कोर्ट ने आइपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स को लीग से निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के फैसले के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार को भी मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। इसी संगठन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आइपीएल-छह सट्टेबाजी और स्पाट फिक्सिंग मामले में जांच के निर्देश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की मिल्िकयत वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने समिति के फैसले पर स्थगनादेश भी मांगा है। इसने दलील दी है कि समिति का फैसला नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने सीएसके और राजस्थान रायल्स दो आइपीएल से दो साल के लिए निलंबित कर दिया है। इस मामले में सीएसके के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मेयपन्न और राजस्थान रायल्स के सह मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजी में दोषी पाए गए थे। दोनों पर बीसीसीआइ हे किसी भी मैच के लिए आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।

चंदन की हैट्रिक, सेना एकादश ने यूनियन बैंक को हराया

मुंबई, 21 अगस्त (भाषा)। सेंटर फारवर्ड चंदन की हैट्रिक की बदौलत गत चैंपियन बंगलुरु की सेना एकादश ने शुक्रवार को यहां 11वें पीएमसी बैंक गुरु तेग बहादुर गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट के पूल ए मैच में मुंबई के क्वालीफायर यूनियन बैंक आफ इंडिया को 6-1 से हरा दिया। गुरुवार को ओएनजीसी के खिलाफ 2-6 से शिकस्त झेलने वाली सेना की टीम ने शुक्रवार को जोरदार वापसी की। सेना एकादश की ओर से चंदन ने 14वें, 23वें और 66वें मिनट में गोल दागे जबकि उदय बाड़ा (21वें मिनट), विराज एक्का (25वें मिनट) और गुरप्रीत (38वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया।

यूनियन बैंक की ओर से एकमात्र गोल 68वें मिनट में राजेंद्र पवार ने किया। सेना एकादश की दो मैचों में यह पहली जीत जबकि यूनियन बैंक की लगातार दूसरी हार है। इससे पहले मुंबई के पश्चिम रेलवे ने कड़े मुकाबले में पूल ए मैच में कड़े मुकाबले में बंगलुरु के भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को 3-2 से हराया।

किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार: राहुल

कोलंबो, 21 अगस्त (भाषा)। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में अपने करिअर का दूसरा शतक जड़ने वाले भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शुक्रवार को कहा कि वे टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। ‘बीसीसीआइ.टीवी’ ने राहुल के हवाले से कहा कि मेरा हमेशा से मानना है कि पेशेवर क्रिकेटर के रूप में आपको लचीलापन दिखाना होगा और टीम आपको जो भी करने के लिए कहे आपको उससे तेजी से सामंजस्य बैठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और टीम को योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीम को मुझसे जो भी मांग होगी, मैं वह करूंगा। लेकिन अगर आप निजी तौर पर मुझसे पूछें तो मैं हमेशा पारी की शुरूआत करूंगा। मुझे शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करना पसंद है। लेकिन मैं फिर कहता हूं अगर टीम चाहती है कि मैं किसी और क्रम पर बल्लेबाजी करूं तो यह मेरे लिए अच्छी चुनौती है और अगर टीम को इसकी जरूरत है तो मैं ऐसा करूंगा।

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड <p>(पूरा सरकारी का उद्यम)</p> <p>सीआईएन : L74899DL1960G01003335</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 <p>टेलीफोन सं: 011-24367314-7, 43591555 वेबसाइट: www.nbccindia.gov.in ई-मेल: investors.nbcc@hotmail.com</p> <p>55 वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर अवधि तथा ई-मतदान जानकारी हेतु सूचना</p> <p>एनट्रार् सुचित किया जाता है कि कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 16 सितंबर, 2015, बुधवार को प्रात:10.30 बजे, एएफकोई ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, दिल्ली-110010 में 55वीं एजीएम सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित का जा रही है। एनट्रार् पुन: सूचित किया जाता है कि कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनीज एक्ट, 2013 की धारा 91 तथा सूचीबद्ध करार के खण्ड 16 के प्रावधानों के अनुपालनार्थ सदस्यों का पंजीकरण तथा कंपनी के शेयर अंतरण वही खाते को 55वीं एजीएम की कार्यवाही तथा लाभार्थी का मुनासब यदि कंपनी के एजीएम बैठक में घोषित किया जाता है, हेतु 14 सितंबर, 2015, सोमवार से 16 सितंबर, 2015, बुधवार (दोनों दिनों सहित) तक बंद रखा जाएगा।</p> वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय परिणाम के साथ व्याख्यात्मक विवरण तथा लेखा-परीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को कंपनी/संपर्क हेतु अमानतदार प्रतिभागियों के साथ जिनका ई-मेल आईडी दर्ज है,उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा जानकारी भेज दी गयी है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट: www.nbccindia.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इसे यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिन सदस्यों ने इसे भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प चुना है या जिनका ई-मेल पता कंपनी के अमानतदार प्रतिभागियों/ रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पंजीकृत नहीं है।</p> कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं इसके तहत गठित नियम के साथ पठित तथा सूचीबद्ध समझौते के खण्ड 35 भी के अनुपालनार्थ, कंपनी ने 09 सितंबर, 2015, बुधवार की कट-ऑफ-तिथि के अनुसार अपने अंशधारकों को एजीएम सूचना में तथा सभी प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) ई-मतदान पद्धति का उपयोग कर अपना मत दे सकते हैं। रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी ने नेशनल सिक्वोरिटी डिजिॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर प्रासंशोधित के अनुसार में सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: (1) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 13 सितंबर, 2015 को ब्याठ 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 15 सितंबर, 2015 को सांय 5:00 बजे खत्म होगी। इस अवधि के दौरान जिन सदस्यों के पास अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 9 सितंबर, 2015 को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रुप में कम्पनी के शेयर हैं, वह अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप से दे सकते हैं। (2) कोई भी व्यक्ति जिसके पास कम्पनी के शेयर हैं सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 9 सितंबर, 2015 को शेयर प्राप्त किए हुए हैं, यह ई-मेल evoting@nsdl.co.in या rajivr@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लांहांन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति अपना वोट देने के लिए वर्तमान रूप आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। (3) सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 15 सितंबर, 2015 को सांय 5:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। (ख) एजीएम में 'बैलेट पेपर' के माध्यम से वोटिंग उपलब्ध होगी और वह सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दिया है वह बैटक में अपना वोट दे सकते हैं। (ग) रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट देने वाला सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (घ) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 9 सितंबर, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर या डिजिॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी रसमी के रजिस्टर में हैं, केवल यह ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पत्र के माध्यम से वोट देने के लिए पात्र होंगे। 4 एजीएम की सूचना कम्पनी वेबसाइट www.nbccindia.gov.in और एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ के लिए आप वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com पर (डाउनलोड सेक्शन" के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोग नियमावली और सदस्यों के लिए निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को देख सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या श्री राजीव रजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए सिटी, घोषा तल, कामला मिल्स कम्पाउंड, लोवर फ्लैट, मुम्बई-400 013 से उनके विनिर्देशित ई-मेल evoting@nsdl.co.in या rajivr@nsdl.co.in या निम्नलिखित टेलीफोन नम्बर (022) 24994738/24994600 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग / बैलेट द्वारा वोटिंग का परिणाम कम्पनी की एजीएम के दौरान या बाद में घोषित किया जाएगा तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। <p style="text-align: center;">निदेशक मंडल के आदेशानुसार क्वैट नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड</p> <p style="text-align: center;">ह0 / - (टीपि गंभीर) कम्पनी सचिव एफ-4984</p> <p>स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 20 अगस्त, 2015</p>	बैक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda				
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली मेट्रो क्षेत्र-II, 11वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001					
तोड़कर खोलने के लिए लॉकरों की सूची					
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, नई दिल्ली में किराये पर लॉकर प्राप्त करने वाले हमारे ऐसे बहुलपु्य संरक्षकों जिन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है, के लिए जानकारी। भा.रि.बैं./ बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके अंतिम दर्ज पते पर रेंटों को भेजी गई सूचनाएं इस उल्लेख के साथ वापस लौट आई हैं कि व्यक्ति/उनका पता नहीं मिला अथवा वे अन्यत्र जा चुके हैं। उनके दर्ज पते पर व्यक्तिगत रूप से लॉकर धारकों को संपर्क करने का प्रयास भी निष्फल रहा है तथा उनका वर्तमान पता-ठिकाना प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में नीचे वर्णित सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 7 दिनों के भीतर बैंक की शाखा में संपर्क करें तथा बैंक के बकाये का भुगतान करें, अन्यथा उनकी लागत, जोखिम एवं उपरदायित्व पर बैंक द्वारा इन लॉकरों को तोड़कर खोलने की कार्रवाई की जाएगी तथा बैंक बकाया रेंट, लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली के लिए लिएए के अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।					
क्रम	लॉकर धारक का नाम	शाखा में अंतिम दर्ज पता	क्रम सं.	लॉकर धाक का नाम	बैंक में दर्ज अंतिम पता
कोलतावा				भीकानी कामा प्रंस	
1. हरिश कुमार गुप्ता	4/42, पंजाबी बाग, दिल्ली-110026		1.	बलबीर सिंह भयाल एवं शोभा	4/9, बी.एस.ए. एक्स्टेंशन, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110009
2. मीता चौपड़ा एवं पुष्पा तलवार	28/51, 2रा तल, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली-110008				नारायण
3. भरत विरगौ	बी 1/3, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005		1.	विनय कुमार महाजन	30, रिग रोड लाजपत नगर, नई दिल्ली
4. जसवीर एन. सभरवाल, देवेंद्र कौर सभरवाल	28/बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005		2.	दिनेश कुमार बाग्गा	230 राजा गार्डन, नई दिल्ली
5. विजय खोसला एवं सत्य प्रकाश	53/38, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005		3.	सीमा प्रीतम सिंह एवं शरदेन्द्र सिंह एवं सोमम सिंह	बी-10, नारायण विहार, नई दिल्ली
6. सुखदेव सिंह एवं गुरुरण कौर	पी.ओ. बाक्स 1720, किमुकु, केन्या				पंजाबी बाग
7. सुनील एवं आशा दुकराल	6266, गली 2-बी नं. 6, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005		1.	नीतू गांधी	ए-15, गुजरगंवा टाउन पार्ट-1,15/64, पश्चिम बंगाली बाग 26
8. शशि कू. वोहरा एवं नीलम वोहरा	1485, राती बाग, शक्रपुर, दिल्ली-110092		2.	निपुण सिंगल/संजीव सिंगल	34 नाथं वेट्ट एवैन्यू, पंजाबी बाग एक्स्टेंशन, उतर दिल्ली-110026
9. जसपाल कौर एवं प्रमन सिंह	111/31, डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली-110005		3.	सोमा प्रीतम सिंह एवं हरिन्द्र पाल सिंह	ईई-81, विष्णु गार्डन, गली नं. 2, नई दिल्ली
10. रंजन बाला विरयानी, मीनू डडलानी, सरोज न्यशालिया	2/30, 3रा तल, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060		4.	संजय कुमार जैन/ सुभाष जैन	91 अरिहंत नगर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
11. पूष्पा विज	25/25, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060		5.	देवेन्द्र कुमार/ शोला शर्मा	19 सी, नॉर्थ वेट्ट एवैन्यू, पश्चिम पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
12. एस.के. सेठ (स्टाफ)	सी/ओ बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग, शाखा 15-ए/14 डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली 110005				नजफगढ़
13. मोनिका गुलाटी	सी/ओ बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग, शाखा 15-ए/14 डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली 110005		1.	पार्वती शर्मा	डी-89, विवेक विहार, नई दिल्ली
14. राकेश गुलाटी	सी/ओ बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग, शाखा 15-ए/14 डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली 110005		2.	राज कुमार एवं सुजाता	एल-65, गली 19, न्यू महावीर नगर, नई दिल्ली
15. सुधम बजाज, ए.एल. बजाज	सी/ओ बैंक ऑफ बड़ौदा, करोल बाग, शाखा 15-ए/14 डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली 110005		3.	राकेश कुमार मर्गा एवं चन्दन मोहन	ए-131, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली
16. रत्ना गुप्ता	38/17 एनईए, पूर्वी मार्ग, नई दिल्ली				इंस्ट ऑफ कैलाश
वसंत लोक			1.	सुरेंद्र कुमार सत्तुजा	एफ-73, कालकाजी, नई दिल्ली
1. कविता रामचन्द्रन	सी-3/3020, वसंत कुंज, नई दिल्ली		2.	तनया दर्शी त्यागी	सी-44, प्रथम तल, इंस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
2. अर्शा खान	डी-6/6069/1, वसंत कुंज, नई दिल्ली		3.	शिव गोविन्द	सी-127, जैतपुर एक्स्टें., बदरपुर, नई दिल्ली
3. हर्दास खुराना एवं मधु खुराना	बी1/591, जनकपुरी नई दिल्ली		4.	दलजीत सिंह एवं अजीत कौर	के-70, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024
4. मुकेश कुमार मनोचा	बी3/102, जनकपुरी नई दिल्ली		5.	टेकसार जीओ सिस्टैटिक्स	ई-109, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
बी-1, जनकपुरी			6.	सोम शुभा सरकार	ई-109, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
1. युपिन्द्र सिंह कुलदीप	एएएएन, आनंद विहार, एल ब्लॉक, हरिनगर, दिल्ली-110064				गुडगांव
2. विकास अरोड़ा एवं रमेश	बी1/59, जनकपुरी नई दिल्ली-110058		1.	श्री विजय कुमार जैन एवं श्रीमती पिशा जैन	667, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुडगांव, हरिनगरा-122001
बी-1, जनकपुरी			2.	यशपाल छावड़ा	सी/ओ बैंक ऑफ बड़ौदा, 19 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
1. युपिन्द्र सिंह एवं कुलदीप	एएएएन, आनंद विहार, एल ब्लॉक, हरिनगर, दिल्ली-110064		3.	देवी दयाल न्यापाल	755/16, न्यू बस्ती, सोहनना चौक, गुडगांव-122001
2. विकास अरोड़ा एवं रमेश	बी1/59, जनकपुरी नई दिल्ली-110058				ग्रेटर कैलाश
3. मोहन	डी 17, सिविलिया परिषेशन फ्लैट्स, दिल्ली		1.	श्री अरविन्द गुलाटी	एन-108, जीके-1, नई दिल्ली-110048
भारत नगर			2.	कान्ता तलवार	एन-138, जीके-1, नई दिल्ली-110048